

डब्ल्यू.डी.टी.-6

राजस्थान सरकार
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.डी.आइ. 3)आईडब्ल्यूएमपी / 2009-10/470-742 दिनांक : 14/6/10


समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं
अधिसापी अभियन्ता (ए संसाधन),
जिला परिषद:

विषय :- जलग्रहण विकास दल के गठन के सम्बन्ध में।

दिनांक 25-26 मई, 2010 को निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं हेतु जलग्रहण विकास दल के गठन की समीक्षा के दौरान अधिकतर परियोजना प्रबन्धकों द्वारा यह अवगत कराया गया कि जलग्रहण विकास दल के अभियांत्रिकी सदस्य हेतु कृषि/सिविल अभियांत्रिकी के डिग्री/डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिन जिलों में अभी तक जलग्रहण विकास दल हेतु अभियांत्रिकी सदस्य नियुक्त नहीं हुये हैं, वहां अभियांत्रिकी सदस्य नियुक्त करने हेतु पुनः समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाये जावें, जिसमें 1. कृषि/सिविल अभियांत्रिकी के डिग्रीधारी, 2. कृषि/सिविल अभियांत्रिकी के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के साथ-साथ 3. इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी के डिग्रीधारी, 4. इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाये। कम संख्या 1 व 2 के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर कम संख्या 3 व 4 की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन, जिला जलग्रहण विकास इकाई द्वारा अभ्यर्थी को कार्य हेतु उपयुक्त माने जाने की शर्त पर किया जावे। कम संख्या 3 व 4 हेतु मानदेय कम संख्या 1 व 2 को दिये जाने वाले मानदेय के अनुसार ही होगा।

उक्त आदेश अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. द्वारा अनुमोदित है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

कक्षा 10, एक दिवसीय पाठ्यक्रम

670-742 तिथि 10/1/20

1. शिक्षक द्वारा
2. शिक्षक द्वारा
3. अभिहित विद्यार्थी
4. शिक्षक द्वारा
5. शिक्षक द्वारा
6. शिक्षक द्वारा
7. शिक्षक द्वारा
8. शिक्षक द्वारा

१

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एन.एन.ए.) एवं निदेशक